



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1279/2025

गजेन्द्र पाल वर्मा एवं एक अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – हिमांशु वैश, अमरेन्द्र सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय, राम आलोक सिंह, संजीव कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु वैश, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय, ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय और प्रतिवादी संख्या 7, 9 और 11 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार पाण्डेय को सुना।
- जनहित में दायर की गई इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने भूमि गाटा संख्या 701, जो खाद के गड्डे के रूप में दर्ज है, से अवैध अतिक्रमण हटाने और उसे उसके मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से निवेदन किया है कि याचिका की विषयवस्तु में उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है और उन्हें इससे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। याचिका का विषय ग्रामीणों के व्यापक हित से संबंधित है, जो अतिक्रमण हटाने में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। उनका अभिकथन है कि निजी प्रतिवादी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने खाद के गड्डे को भरकर और भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर उस पर अतिक्रमण किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे गाँव में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से लिस हैं और समय-समय पर ग्रामीणों के हित में मुद्दे उठाते हैं। उनका व्यवसाय कृषि है और कृषि उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। सामाजिक सेवा में याचिकाकर्ताओं की भागीदारी के दावे के समर्थन में, दो चित्र, जिनमें दोनों याचिकाकर्ता एक पौधा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, याचिका के साथ संलग्न की गई हैं। फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम के नाम से जारी किए गए कुछ कूपन भी याचिका के साथ संलग्न किए गए हैं, जिनसे दर्शित होता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने बेटी विवाह सहयोग और मृत्यु सहयोग के लिए तीन बार 50 रुपये और एक बार 40 रुपये का भुगतान किया है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए गढ़े गए हैं कि याचिकाकर्ता जनहितैषी नागरिक हैं। प्रतिवादी संख्या 7, 9 और 11 की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र में प्रस्तुत कथनों से यह धारणा और भी पुष्ट होती है, जिसमें विशेष रूप से यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का इस मामले में स्पष्ट हित निहित है क्योंकि याचिकाकर्ताओं की भूमि विवादित भूमि से सटी हुई है। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादियों ने किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता वाली भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने महमूदाबाद के उपजिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2025 और 10.01.2026 को दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया है। लिखित निर्देशों में कहा गया है कि दिनांक 16.11.2025 को ग्रामीणों और याचिकाकर्ता की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया गया था। कुछ ग्रामीणों ने स्थल ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, किन्तु याचिकाकर्ता ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद के गड्ढे के एक हिस्से पर बिना कोई पक्का निर्माण किए एक मार्ग बनाया गया है। ग्रामीणों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। दिनांक 10.01.2026 के निर्देशों में कहा गया है कि दिनांक 08.01.2026 को अनेक ग्रामीणों की उपस्थिति में एक और स्थल निरीक्षण किया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ एक पगडंडी जैसा मार्ग था जिसका उपयोग ग्रामीण कर रहे थे। ग्रामीणों की आपसी सहमति से उस मार्ग पर कुछ मिट्टी डाली गई थी और इस प्रकार मिट्टी डालकर तीन मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया था। खाद के गड्ढे पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही उस पर अतिक्रमण किया गया है।

6. निर्देशों में आगे कहा गया है कि दिनांक 25.10.2025 को एक समझौता हुआ था, जिस पर याचिकाकर्ता संख्या 1- गजेंद्र पाल और याचिकाकर्ता संख्या 2- भागीरथ वर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में यह दर्ज है कि नाली का पाइप बिछाने को लेकर पक्षों के मध्य विवाद हुआ था और यह सहमति बनी थी कि उपजिलाधिकारी



द्वारा भूमि का सीमांकन करने के बाद पाइप बिछाया जाएगा।

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर जनहित में, अपने व्यक्तिगत विवादों को निस्तारित के लिये रिट याचिका दायर की है, क्योंकि यह मार्ग उन याचिकाकर्ताओं को असुविधा पहुंचाएगा जिनकी भूमि विवादित भूमि से सटी हुई है।

8. चाहे जो भी हो, निर्देशों से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन मार्ग का उपयोग बड़ी संख्या में ग्रामीण कर रहे हैं, जिनके पास कोई अन्य मार्ग नहीं है। मार्ग का अस्तित्व जनहित में बताया गया है। जनहित में संस्थित की गई और विचारित कार्यवाही में आम जनता द्वारा उपयोग किए जा रहे मार्ग को बाधित नहीं किया जा सकता।

9. हालांकि, यह आवश्यक है कि राजस्व अभिलेख को सही किया जाए और यदि मार्ग का अस्तित्व जनहित में पाया गया है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा विधि के अनुसार भूमि के उपयोग को खाद के गड्ढे से मार्ग में परिवर्तित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

10. तदनुसार, संबंधित प्राधिकारीगण को विधि के अनुसार खाद के गड्ढे के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को मार्ग में परिवर्तित करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी करते हुए याचिका का निस्तारण किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)